प्रेस विज्ञप्ति

Press Release

आईआरडीए (बैठकें) विनियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकरण की 132वीं बैठक 14 जुलाई 2025 को आईआरडीएआई, हैदराबाद में संपन्न हुई। उक्त बैठक में विचार-विमर्श किये गये/अनुमोदित किये गये नेमी विनियामक और प्रशासनिक विषयों के अतिरिक्त, निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं ने प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त कियाः

1. वित्तीय वर्ष 2025-26 और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र तथा मोटर अन्य पक्ष दायित्व

वित्तीय वर्ष 2025-26 और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आईआरडीएआई (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र तथा मोटर अन्य पक्ष दायित्व) विनियम, 2024 के अंतर्गत ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्व अनुमोदित किये गये।

2. इंड-आरबीसी के कार्यान्वयन हेतु दूसरे मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन (क्यूआईएस 2) के लिए तकनीकी मार्गदर्शन दस्तावेज का निर्मोचन

जोखिम आधारित पूँजी (इंड-आरबीसी) के कार्यान्वयन के संबंध में अद्यतन स्थिति पर चर्चा की गई, जो बीमाकर्ताओं के जोखिम प्रोफाइल आधार पर, पूँजी के इष्टतम उपयोग से युक्त रूप में समग्र वृद्धि के उद्देश्य के साथ विकास कार्यसूची का अनुसरण करने के लिए एक मुख्य क्षेत्र है। प्रथम मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन (क्यूआईएस 1) के द्वारा प्रभाव के आकलन से प्राप्त परिणामों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

बीमाकर्ताओं और कार्य-दलों से प्राप्त निविष्टियों को ध्यान में रखते हुए क्यूआईएस 2 संचालित करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन दस्तावेज को भी अद्यतन बनाया गया है। प्रायोगिक तौर पर चलाने (ड्राई रन) के द्वारा डेटा प्रस्तुतीकरण के लिए टेम्प्लेट की भी समीक्षा की जा रही है। आंतरिक रूप से अभिकल्पित टेम्प्लेट के साथ ही, एक अद्यतनीकृत तकनीकी मार्गदर्शन दस्तावेज शीघ्र ही जारी किया जाएगा। बीमाकर्ताओं से अपेक्षित होगा कि वे उक्त कार्य का निष्पादन दो से तीन महीनों के अंदर पूरा करें।

3. आर1 आवेदन का अनुमोदन, जो किसी भी बीमा कंपनी के पंजीकरण की प्रक्रिया में प्रथम चरण अनुमोदन है।

मेसर्स किवी जनरल इंश्योरेंस लि. के आर1 आवेदन का अनुमोदन किया गया।

4. सम्मिलित अन्य महत्वपूर्ण कार्यसूचियाँ

i. व्यवसाय करने की सुगमता के लिए वर्तमान विनियामक शर्तों में कुछ स्पष्टीकरणों/ संशोधनों का अनुमोदन निम्नलिखित के संबंध में किया गयाः

- आईआरडीएआई (विनियमित संस्थाओं द्वारा सूचना का अनुरक्षण और प्राधिकरण द्वारा सूचना की साझेदारी) विनियम, 2025
- बीमा रिपोजिटरियों और बीमा पालिसियों के इलेक्ट्रानिक निर्गम संबंधी संशोधित दिशानिर्देश (संदर्भः आईआरडीएआई/आईएनटी/जीडीएल/आईएनएसआरई/111/05/2015 दिनांक 29 मई 2015)

ii. प्रवर्तन कार्य के भाग के रूप में, कुछ बीमाकर्ताओं/बीमा मध्यवर्तियों के विषय में बीमा अधिनियम और उसके अधीन जारी किये गये विनियमों के उपबंधों के संबंध में पाये गये उल्लंघनों पर विचार करने के लिए, पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल बनाये गये।

iii. प्राधिकरण द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन के तौर पर, विशिष्ट शेयर अंतरण आवेदनों और अन्य विषयों पर विचार करने के लिए पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल बनाया गया।

यह चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राधिकरण की तीसरी बैठक थी।

The 132nd Meeting of the Authority was held on the 14th July 2025 at IRDAI, Hyderabad in accordance with the provisions of the IRDA (Meetings) Regulations 2000. Apart from the routine regulatory and administrative matters deliberated/approved in the meeting, the following major aspects received Authority's approval:

1. Rural, Social Sector and Motor Third Party obligations for FY 2025-26 and FY 2026-27

Rural, Social Sector and Motor Third Party obligations under IRDAI (Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations) Regulations, 2024 for FY 2025-26 and FY 2026-27 were approved.

2. Release of Technical Guidance Document for Second Quantitative Impact Study (QIS 2) for implementation of Ind-RBC

A status update on implementation of Risk Based Capital (Ind-RBC) which is one of the key areas to pursue development agenda with the objective of overall growth coupled with optimum utilization of capital, basis the risk profile of the insurers, was

discussed. The results from the impact assessment from the First Quantitative Impact Study (QIS 1) were also deliberated.

The Technical Guidance document for carrying out the QIS 2 has been updated considering inputs received from insurers and working groups. The template for data submission is also being reviewed through dry run. An updated Technical Guidance Document along with internally designed template will be released soon. Insurers will be required to complete the exercise in two to three months.

3. Approval of R1 application, the first stage approval in the registration process of an Insurance Company.

R1 application of M/s Kiwi General Insurance Ltd. was approved

4. Other important agendas included

i. For ease of doing business certain clarifications/modifications in the existing regulatory stipulations were approved as regards:

- IRDAI (Maintenance of Information by the Regulated Entities and Sharing of information by the Authority), Regulations 2025
- Revised Guidelines on Insurance Repositories and Electronic Issuance of Insurance Policies (Reference IRDAI/INT/GDL/INSRE/111/05/2015 dated 29th May 2015)

ii. As part of enforcement function, to decide on the violations observed as regards the provisions of Insurance Act and Regulations issued thereunder, with respect to certain Insurers/Insurance Intermediaries, panels of Whole-Time Members were formed

iii. In terms of delegation of powers by the Authority, panel of Whole-Time Members were formed to consider specific share transfer applications and other matters

This was the third meeting of the Authority in the current financial year FY 2025-26